

(TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II,  
SECTION 4)

GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF DEFENCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 09 December, 2011

S.R.O. - 11(E) In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 340 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006), the Central Government hereby makes the following further amendments in Schedule V to the said Act for the purpose of that sub-section, namely:-

In the Cantonments Act, 2006, in Schedule V,-

(i) In serial number 12, against clause (a) of column 3, for the corresponding entry in column 4, the following entry shall be substituted, namely:-

“(a) Principal Director

(b) Director

(c) Joint Director, Defence Estates, the Command”;

(ii) In serial number 14, against clause (a) of column 3, for the corresponding entry in column 4, the following entry shall be substituted, namely:-

“(a) Principal Director

(b) Director

(c) Joint Director, Defence Estates, the Command”.

(F.No. 10(1)/2009/D(Q&C)



(Ashok Kumar Gupta)

Jt. Secretary to the Government of India

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 4 में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 09 दिसम्बर, 2011

का.नि.आ. 11 (अ) केन्द्रीय सरकार, छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 340 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की अनुसूची V में उस उपधारा के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

छावनी अधिनियम, 2006 में अनुसूची V में :

(i) कम संख्या 12 में, स्तंभ 3 के खण्ड (क) के सामने स्तंभ 4 की तत्स्थानी प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :

“(क) प्रधान निदेशक  
(ख) निदेशक  
(ग) संयुक्त निदेशक, रक्षा संपदा, कमान” ;

(ii) कम संख्या 14 में, स्तंभ 3 के खण्ड (क) के सामने स्तंभ 4 की तत्स्थानी प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :

“(क) प्रधान निदेशक  
(ख) निदेशक  
(ग) संयुक्त निदेशक, रक्षा संपदा, कमान”

फा. सं. 10(1)/2009/डी (क्यू एण्ड सी)

3-12/11

(अशोक कुमार गुप्ता)  
संयुक्त सचिव, भारत सरकार